न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 27/2021
दायर दिनांकः 17/08/2021
निर्णय दिनांकः 01/06/2022

उनवान

1. श्रीमती मांगीबाई पुत्री स्व. जीतू जाट निवासी देवड़ों का खेड़ा तहसील भूपालसागर

वादीगण

बनाम

1. श्रीमती प्यारीबाई पत्नी स्व. मगनीराम जाट निवासी छतरीखेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. भूमिधारी, उपपंजीयक अधिकारी एवं तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्वप्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री कन्हैयालाल माली
2. श्री हरीश तुलछिया अधिवक्ता
3. पैरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवडों का खेड़ा पटवार हल्का कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित हाल खाता संख्या 147 में दर्ज आराजी नंबर 1082/707 रकबा 0.44 हैक्टेयर किता 1 रकबा 0.44 हैक्टेयर आराजियात में 1/2 हिस्से की आराजियात पर प्रार्थिया का कब्जा होकर काश्त कर रही है तथा इसी प्रकार ग्राम देवडों का खेड़ा पटवार हल्का कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर में हाल खाता संख्या 148 में दर्ज हाल आराजी नंबर 749 रकबा 0.30 हैक्टेयर, आराजी नंबर 750 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.61 हैक्टेयर आराजियात प्रार्थिया के कब्जे अधिकार में होकर प्रार्थिया ही लगभग विगत 50 वर्षों से काश्त कर रही है तथा वर्तमान में उपरोक्त आराजियात में प्रार्थिया द्वारा ज्वार की फसल बो रखी है उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थिया के स्व. भाई मगनीराम पिता जीतू जाट के नाम पर हाल जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया का भाई मगनीराम बीमार रहता था प्रार्थिया द्वारा मेहनत मजदूरी कर तथा गहन बेचकर खरीदी थी। रजिस्ट्री भाई के नाम पर कराई थी। प्रार्थिया द्वारा एक अन्य प्रकरण विचाराधीन था जो नोट प्रेस में खारिज हो गया था, जिसके कारण उपरोक्त आराजियात में नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 29.07.2021 का अंकन जमाबंदी में करा दिया। जिसको तुरन्त रोका जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थिया प्यारी का कोई हक अधिकार नहीं बनता है अप्रार्थिया प्यारीबाई प्रार्थिया के भाई मगनीराम की पत्नी बनकर नहीं रही है वह कभी देवडों का खेड़ा में नहीं आई है अप्रार्थिया का कब्जा नहीं रहा है न काश्त की है। वर्णित [illegible] नामान्तरकरण संख्या 445 से अप्रार्थिया संख्या 1 प्यारी के नाम दर्ज [illegible] क्योंकि अप्रार्थिया उक्त वर्णित आराजियात का खुर्द बुर्द करने [illegible]

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण [illegible] संख्या 1 प्यारी की ओर से उनके अधिवक्ता ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया [illegible] उक्त प्रकरण में जवाब में प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र का विरोध कर गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने का निवेदन किया तथा अपने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया कि ग्राम देवडों का खेड़ा पटवार हल्का कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर की आराजी नंबर 1082/707, 749,750 की अप्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार है तथा स्व. मगनीराम की मृत्यु के पश्चात जरिये विरासत अप्रार्थिया प्यारी के खातेदारी में दर्ज हुई है तथा प्यारी का कब्जा होना बताया तथा रिकार्डेड

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.10 12:40:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जाने का निवेदन किया तथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराया गया तथा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजियात के संबंध में अप्रार्थीगण के खिलाफ मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्यारी को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना बताया गया तथा कब्जा भी अप्रार्थिया का होना बताया गया तथा निवेदन किया कि यदि किसी प्रकार से प्रार्थिया की विवादग्रस्त आराजियात पर कब्जा हो तो भी वह कानूनन अवैध कब्जा की तारीफ में आता है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस अपनी ओर से न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2014 (2), आर.आर.टी. 2021 (2) पेश किया। जिसका अवलोकन किया तथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी का निरीक्षण किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी में अप्रार्थिया संख्या 1 प्यारी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उक्त नकल जमाबंदी में कहीं प्रार्थिया मांगीबाई का बतौर खातेदार काश्तकार नाम अंकित नहीं है तथा प्रार्थिया मांगीबाई ने ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर या वक्त बहस पेश नहीं किया कि प्रार्थिया मांगीबाई का विवादग्रस्त आराजियात पर 50 वर्षों से निरन्तर कब्जा हो तथा खातेदार हो अपितु प्रार्थना पत्र में स्वयं ने अंकित किया है कि उसके भाई मगनीराम के खातेदारी में विवादग्रस्त आराजियात अंकित थी तथा उसके भाई की सन् 2019 में मृत्यु होने बाबत अंकित किया है। प्रार्थिया के स्वयं के द्वारा प्रस्तुत अस्थाई प्रार्थनापत्र में दावे से भी प्रार्थिया को काई वैधानिक रूप से 50 वर्षों से कब्जा हो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है जबकि अप्रार्थिया प्यारी को विरासत से वादग्रस्त आराजियात खातेदारी में अंकित हुई है तथा इससे पूर्व प्यारी के पति के खातेदारी में अंकित थी। अप्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से स्पष्ट है कि एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारत नहीं किया जा सकता है तथा रिकार्डेड खातेदार के नाम नकल जमाबंदी में अंकित नाम के आधार से भी स्पष्ट है कि उसका कब्जा माना गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्यों एवं बहस के आधार पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्रके तीनों तथ्य प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थिया साबित नहीं कर पाई है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टान्त से प्रकरण अप्रार्थिया संख्या 1 प्यारी के पक्ष में पाया जाता है तथा उपरोक्त तथयों के आधार पर प्रार्थिया के पक्ष में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया जाता है कि प्रार्थिया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जा सके। अतः प्रार्थिया मांगीबाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किसी प्रकार से प्राार्थिया के पक्ष में साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज 01.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.10 12:40:22 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला-सिरोही (राज.)